बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

18 मार्च, 2021

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 38

योजना से जोड़ने का विचार

*358 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 'पी.एम श्रमयोगी मानधन योजना' के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, हस्तकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी इत्यादि एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शामिल करना है, जिनकी आमदनी 15 हजार से कम है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में ऐसे मजदूरों की संख्या लाखों में है पर अभी तक 2 लाख लोगों को भी इससे जोड़ा नहीं जा सका है, जिस कारण इन मजदूरों के इस योजना से नहीं जुड़ने के कारण इनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत शीघ्र अधिक से अधिक मजदूरों को जोड़ना चाहती है ?

पुनर्जीवित करने पर विचार

*359 **श्री रण विजय कुमार सिंह (विधान सभा):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली विश्व शांति स्तूप के निकट करीब 2500 साल पुराना अभिषेक पुल्कर्नी सरोवर है जो सूख गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जल संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत उक्त सरोवर को पुनर्जीवित करने हेतु वैशाली शाखा नहर से प्रेशर पाइप द्वारा जलापूर्ति की जा सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरोवर को यथाशीघ्र पुनर्जीवित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक ?

निचले स्थान पर रहने का क्या औचित्य

*360 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

योजना एवं विकास :-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्यों की ताकत एवं कमजोरी का पता लगाकर उन्हें मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि देश के सभी राज्यों के लिए अलग-अलग जारी 2019 के इनोवेशन इन्डेक्स में बिहार राज्य 14.5 अंक प्राप्त कर सबसे निचले स्थान पर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार राज्य को निचले स्थान पर होने का क्या औचित्य है और इंडेक्स में ऊँचा स्थान प्राप्त करने हेतु सरकार चौतरफा क्या प्रयास कर रही है ?

उचित मुआवजा का भुगतान

*361 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन :-

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत रामपुर थाना के महादलित संवर्ग के 15-20 मजदूर की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जिसकी प्राथमिकी रामपुर थाना कांड

संख्या-232/2012 दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं संलिप्त शराब माफिया अभियुक्त की मिली- भगत से खंड 'क' में वर्णित कांड की लीपापोती हो रही है और 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोषी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा मृत महादलित के परिवार को अबतक क्या-क्या सुविधा दी गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पदाधिकारी एवं संलिप्त अपराधी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मृत महादलित के परिवार को उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अनुशंसा का अधिकार

***362 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

योजना एवं विकास :-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार छात्रहित में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध एवं राज्य सरकार की भूमि पर स्थापित तथा संचालित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (इंटरमीडिएट) शिक्षण संस्थानों में भी सरकारी विद्यालयों की तरह ही डिजिटल स्मार्ट क्लास शुरू करने हेतु विधान मण्डल के माननीय सदस्यों को भी अनुशंसा का अधिकार देने का प्रावधान करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

जल जमाव से निजात कब तक

***363 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड में एक दर्जन से अधिक चौर हैं जिनमें वर्षा से जल-जमाव के कारण खेती नहीं हो पाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त चौर में चकदह, कपड़दल, गाड़ा, सिल्ठा, सहरा, करूआहा, बगहा, बड़हेला, कारू, गमहैर, रंका, कुशहा, कंसधा, सिंगरैला, तरछा, दासिन, बगजोड़, बराड़ चौर की हजारों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का वर्षा जल निस्सरन की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों की जीविका पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गढ़पुरा प्रखंड के उक्त चौर के जल-जमाव की समस्या का निदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

क्रियाकलापों की जांच

*364 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, पटना सदर जो पटना सिटी के निवासी हैं, अपनी राजनीतिक पहुंच और दबंगता के कारण कई वर्षों से आज तक एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय होने के कारण उक्त पदाधिकारी स्थानीय राजनीति में लिप्त हैं तथा अपने चहेतों और असामाजिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अपने मातहतों को डरा-धमका कर आर्थिक एवं सामाजिक शोषण करते हैं साथ ही महिला विकास मित्रों को मानदेय रोकने की धमकी देकर अश्लील हरकतें और अमर्यादित कार्य करने पर दबाव देते हैं, इनके क्रिया-कलाप से तंग आकर कई महिला विकास मित्रों ने उच्चधिकारियों से लिखित शिकायत की है, जिसे अपने प्रभाव से दबा देते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संजय कुमार, कल्याण पदाधिकारी, पटना सदर के क्रिया-कलापों की जांच कराते हुए उनको जिले से बाहर स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पानी पहुंचाने की व्यवस्था

*365 **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में मुख्य नहर, पईन, कैनाल और उप वितरणी की संख्या 1916 है, विभिन्न प्रखंडों से कुल 11 नदियां होकर गुजरती है, नदियों व नहरों के भरोसे जिले में सिंचाई का लक्ष्य 75,792 हेक्टेयर है, जबकि नहरों का पानी 35,000 हेक्टेयर खेतों तक ही पहुंच पाता है;

(ख) क्या यह सही है कि नहरों का पानी सिंचाई के समय उपलब्ध नहीं रहता है, पिछले 5 साल से नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, ऐसे में साधन रहते हुए भी फसल सूखने की स्थिति आ जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि सिंचाई के लिए जिले में 142 पुराने नलकूप थे, बाद में नाबार्ड फेज 3 और 8 के तहत 178 नलकूप स्थापित किए गए, कुल मिलाकर 320 सरकारी नलकूप लगाए हैं, इनमें 208 नलकूप ही चालू हालत में हैं, शेष 108 नलकूप कई साल से बंद हैं, नलकूप से सिंचाई का लक्ष्य 22 हजार हेक्टेयर रखा गया है, 108 नलकूप बंद रहने से 8 हजार 600 हेक्टेयर खेतों को सिंचाई नहीं मिल पा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि 18 करोड़ खर्च के बाद भी किसानों के सिंचाई के लिए नहीं मिला पानी, जिले में आने वाली सबसे बड़ी सारण मुख्य नहर यूपी होकर आने के कारण पहले यूपी के किसान अपने फसल की सिंचाई करते हैं, उसके बाद जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है, इसके बाद नहर विभाग ने पिछले तीन वर्षों से नाला और नहर की सफाई में 65 करोड़ से अधिक खर्च किया है। हालांकि मुख्य सारण नहर में पानी तो दिखता है, लेकिन पईन और छोटे-छोटे नहरों में पानी नहीं पहुंच पाता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद बड़े नलकूपों को चालू करने एवं सारण नहर का पानी पईन व छोटे-छोटे नहरों में पहुंचाने का विचार करेगी, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पुस्तकालय तथा विवाह-स्थल का निर्माण

*366 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

योजना एवं विकास :-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विधान परिषद् के पूर्व सभापति स्व. पंडित ताराकांत झा ने मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत विशनपुर पंचायत के लडुगामा गांव में ग्रामहित चिन्तक पुस्तकालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के ऐच्छिक कोष से 2 लाख 99 हजार 5 सौ प्राक्कलन राशि आवंटित करायी थी;

(ख) क्या यह सही है कि आवंटित राशि से उक्त पुस्तकालय का पूरा निर्माण आज तक नहीं होने के कारण अर्द्धनिर्मित पुस्तकालय भवन जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है, साथ ही शिवनगर ग्राम का विवाह-स्थल भी आधा-अधूरा बना हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत विशनपुर पंचायत के लडुगामा गांव में ग्रामहित चिन्तक पुस्तकालय का निर्माण तथा शिवनगर ग्राम का विवाह-स्थल निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कबतक

***367 श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत लहलापुर प्रखंड के ढोढ़नाथ बाबा मंदिर परिसर के पोखरा को जल-जीवन-हरियाली योजना में वर्ष 2018 में शामिल किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पोखरा को जल-जीवन-हरियाली के तहत सौन्द्रयीकरण तथा सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पोखरा का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

डेढुआ पम्प योजना बनाने पर विचार

***368 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के संदेश प्रखंड में डेढुआ पम्प योजना का शिलान्यास किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि डेढुआ पम्प योजना से अगिआंव प्रखंड, संदेश प्रखंड के अनेकों गांव के किसान लाभन्वित होंगे, सिंचाई के अभाव में भूमि परती रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त योजना बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भी प्राक्कलन बनाने के लिए विभाग को आदेश दिये थे, विभाग के पास प्राक्कलन भी उपलब्ध था लेकिन राशि के अभाव में आज तक कार्य शुरू नहीं हो सका;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जनहित में कबतक सरकार डेढुआ पम्प योजना बनाना चाहती है ?

प्रभावी व्यवस्था

***369 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विगत 10 वर्षों से झारखंड की लोहदण्ड नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के फलस्परूप नवादा जिला में स्थित ककोलत जलप्रपात में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाने से चट्टानों की सलाइडिंग होती रहती है और पहाड़ पर से बड़ी-बड़ी चट्टानें नीचे आ जाती हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रश्नागत बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित करने तथा चट्टानों की सलाइडिंग रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शस्त्र की अनुज्ञप्ति

*370 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुमन कुमार, ग्राम+पो- बीथो शरीफ, जिला- गया द्वारा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आवेदन समर्पित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष, चांकद, गया द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा किये जाने के बाद भी श्री कुमार के नाम से अनुज्ञप्ति स्थानांतरित नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक श्री कुमार के शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करना चाहती है ?

पैरोल पर बाहर कैसे

*371 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जेल मैन्युअल 2012 के तहत कैदियों को 15 दिनों का पैरोल का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना 2010, पत्रांक 1398 कैदी बिहार संशोधन में यह जिक्र है कि पुत्र या पुत्री एवं सगे भाई, सगी बहन के विवाह संस्कार तथा अनिवार्य धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारों के लिए पैराल का प्रावधान है;

(ग) क्या यह सही है कि न्यायालय अवकाश अवधि में सरकार के अनुमोदन के बाद भी पैरोल नहीं मिल पाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्क हैं, तो ऐसी व्यवस्था करेगी कि सरकार के अनुमोदन के बाद सजायाफ्ता / विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर बाहर जाने दिया जाय, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कब्रिस्तान का अतिक्रमण

*372 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा)ः**

गृह ः-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिला अंतर्गत ग्राम- दिग्घी कला, थाना- सदर हाजीपुर स्थित एक कब्रिस्तान है, जिसका खाता सं.- 817, खेसरा- 1129, रकबा 18 डिसमिल (चार कट्ठा) है;

(ख) क्या यह सही है कि इस कब्रिस्तान का कुछ लोग लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं जिससे लाश दफन करने में बाधा उत्पन्न होती है;

(ग) क्या यह सही है कि कई अवसरों पर प्रशासन की सहायता द्वारा लाश दफन करने का कार्य किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त करवाकर इसकी चहारदीवारी कराने का कार्य करेगी ?

योजनाओं का समय

*373 **श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार)ः**

योजना एवं विकास ः-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि मैं जमुई जिले के प्रखंड अलीगंज में योजना कराने हेतु मेरे अपने विकास निधि कोष से पत्रांक संख्या- 405/ का.आ. दिनांक 23.12.2019 वित्तीय वर्ष 2019-2020 को जिला योजना पदाधिकारी, जमुई को अनुशंसा भेजने के बहुत दिनों बाद

कार्य कराया गया;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना का कार्य विगत वर्ष अप्रैल-मई 2020 में ही करा लिया गया उसके बाद भी आज तक संवेदक को राशि नहीं दी गई, इस तरह से हमारे सभी योजनाओं का पदाधिकारियों के द्वारा जानबूझकर विलंब किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मेरी सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण कराना चाहेगी एवं दोषी विभागीय पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्लुईस गेट का निर्माण

***374 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रंखड अंतर्गत दक्षिणी भंदारतल पंचायत क्षेत्र के आजमपुर शंकर बांध पर महेंद्र दीक्षित के ईंट भट्टा के निकट सुलीस गेट का निर्माण कराया जाना आवश्यक है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर स्लुईस गेट का निर्माण होने से लगभग 50000 की आबादी का बाढ़ से बचाव होगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर स्लुईस गेट का निर्माण कराये जाने का विचार रखती है ?

सुरक्षात्मक बांध का निर्माण

***375 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के प्रखंड रामनगर अंतर्गत पंचायत जोगिया के ग्राम सेरहवा एवं महुई पंचायत के ग्राम महुई में विगत वर्ष मशान नदी से भीषण कटाव हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि मशान नदी के कटाव से ग्राम महुई एवं सेरहवा के अलावे दर्जनों गांवों में जल-प्रलय की संभावना बनी हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि विगत वर्ष बरसात के दिनों में बाढ़ के पानी से सिंधिया नदी

से हुए कटाव के कारण प्रखंड रामनगर की पंचायत मनचंगवा के अनुसूचित जाति के कई परिवार विस्थापित हुए हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड रामनगर के ग्राम महुई से सेरहवा तक मशान नदी के तट पर तथा ग्राम मनचंगवा अनु.जाति बस्ती के समीप सिंधिया नदी के तट पर पक्का सुरक्षात्मक बांध का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

*376 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस अभियान के तहत सभी अतिक्रमित तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार किया जाना है;

(ग) क्या यह सही है कि अररिया जिले के ग्राम जय नगर में स्थित तालाब अतिक्रमित है जिस पर अंचलाधिकारी, जय नगर के समक्ष अतिक्रमण वार्ड संख्या- 01/2020-21 दाखिल है, जिसका अबतक निष्पादन नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहेगी कि ग्राम जय नगर स्थित तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार किये जाने को इच्छुक है, यदि हां तो कबतक ?

सोते की सफाई

*377 **श्री टुनजी पाण्डेय (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिले के पचरुखी प्रखंड में ग्राम- उखई पूरब पट्टी से होकर ग्राम शाहपुर तक जल निकासी के लिए एक सोता अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त सोता विभाग की उदासीनता का दंश झेल रहा है, जिसके कारण लगभग बीस गांव की सात सौ एकड़ फसल का हर साल नुकसान हो जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सोते की सफाई करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वेतनवृद्धि का लाभ

***378 श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

वित्त विभाग :-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपने कर्मियों को 1 वर्ष कार्य करने के पश्चात् अर्थात् 1 जुलाई को वेतनवृद्धि देती है;

(ख) क्या यह सही है कि जिन कर्मियों की जन्मतिथि 1 जुलाई है, उन्हें पिछले माह की अंतिम तारीख को वार्धक्य सेवानिवृत्ति दे दिया जाता है जिसके चलते उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि जिन कर्मियों की जन्मतिथि 1 जुलाई है, वे 1 वर्ष पूरा कार्य करने के पश्चात् वेतनवृद्धि पाने के हकदार हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिन कर्मियों की जन्म तिथि 1 जुलाई है उनको सेवानिवृत्ति के पश्चात् वेतनवृद्धि का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

लंबित राशि का भुगतान

***379 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलाबल के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के ए.सी.पी., एम.ए.सी.पी., बकाया बेतन एवं भत्ता, उत्क्रमित ग्रेड पे वेतन एरियर की

अंतर राशि का भुगतान विभाग से बजट आवंटन नहीं मिलने की वजह से लगभग तीन वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पटना जिलाबल के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के ए.सी.पी., एम.ए.सी.पी., बकाया वेतन एवं भत्ता, उत्क्रमित ग्रेड पे वेतन एरियर की अंतर राशि का विभाग से बजट आवंटन कर भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

उचित कार्रवाई

*380 **डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 1 फरवरी 2020 को गौड़ाबौराम प्रखंड के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कन्हैया ग्राम में, अपराधियों ने संजय झा नाम के व्यक्ति को हत्या की नीयत से तलवार से बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसमें जख्मी संजय कुमार अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग 1 माह बीत जाने के उपरांत भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अपराधी के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम पूरे गांव में घूम रहे हैं, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है एवं ग्रामीणों को प्रशासन से भरोसा उठता जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपराधियों पर उचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मॉडल थाने का निर्माण

*381 **मो. फारूक (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिले के शिवहर प्रखंड के फतहपुर गांव को मॉडल थाना के लिए प्रस्तावित किया गया था, परंतु अब तक मॉडल थाना फतहपुर गांव में नहीं खुल पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि मॉडल थाना हेतु इस गांव में सरकारी जमीन उपलब्ध है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में फतहपुर गांव में मॉडल थाने का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सीढ़ी निर्माण कबतक

*382 **श्रीमती मनोरमा देवी (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के मोहनपुर प्रखंड में इटवां गांव में महाने नदी में लिटियाही घाट पर सीढ़ी नहीं रहने के कारण आमजनों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त लिटियाही घाट पर सीढ़ी निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*383 **श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 28.12.2020 को प्रकाशित 'खबर एक वर्ष में 18 करोड़ की बाइक चोरी' रिक्वरी शून्य को ध्यान में रखते हुए;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में 2300, वर्ष 2016 में 2608, वर्ष 2017 में 3134, वर्ष 2018 में 3303, वर्ष 2019 में 3650, और वर्ष 2020 में सितम्बर तक 3703 बाइकों की चोरी पटना में हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में हर महीने 1 करोड़ 50 लाख और एक दिन में पांच लाख रुपये से अधिक की बाइक चोरी होती है;

(घ) क्या यह सही है कि वर्ष 2019-20 में राजधानी (पटना) में हुई 18 करोड़ की बाइक चोरी की रिकवरी शून्य है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बाइक चोरी की रिकवरी नहीं करने वाले दोषी पुलिस पदाधिकारी पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

***384 डा. एन. के. यादव (स्नातक कोशी):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत धमदाहा प्रखंड के बालू टोल के पास कोसी (फरियानी) नदी के मुहाने को अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया है जिससे नदी का बहाव रुक गया है, नदी के मुहाने को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाना आवश्यक है जिससे पुनः नदी का प्रवाह चालू हो सके ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी के मुहाने को आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नदी के मुहाने को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

लंबित भुगतान कबतक

***385 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बांका के पत्रांक-159, दिनांक 18.02.2021 द्वारा अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर से वित्तीय वर्ष 2018-19 की 22 योजनाओं के लंबित भुगतान करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सभी 22 योजनाओं पर जुलाई 2019 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है लेकिन आज तक संवेदक का भुगतान लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित योजनाआं के लंबित भुगतान कराने का विचार रखती है ?

कर्मियों का स्थानांतरण

***386 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अनीसाबाद, पटना स्थित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के कार्यालय में कुछ कर्मी लगभग 20 (बीस) वर्षों से पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इतनी लंबी अवधि तक एक ही स्थान पर कर्मी के पदस्थापन से कार्यालय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पदस्थापित कर्मियों का स्थानांतरण करते हुए अराजकता जैसी समस्या का समाधान करना चाहेगी ?

योजना की राशि का भुगतान नहीं

*387 **श्री रामईशबर महतो (विधान सभा):**

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड एवं बाजपट्टी प्रखंड में कन्या विवाह योजना राशि कई वर्षों से नहीं मिल रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड एवं बाजपट्टी प्रखंड में कन्या विवाह योजना की राशि देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*388 **श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत मोहरा प्रखंड कजूर में थाना भवन निर्माण कराने हेतु कजूर गांव में जमीन की मापी कराते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गया ने पुलिस मुख्यालय को अनुशंसा भेजी है;

(ख) क्या यह सही है कि मोहरा प्रखंड, कजूर में प्रखंड मुख्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26.09.2019 को किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड अस्पताल भवन करीब दस करोड़ का बनाया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी, गया ने प्रखंड मुख्यालय कजूर गांव में बनाने हेतु करीब 10.92 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करते हुए अपना प्रतिवेदन भी ग्रामीण विकास विभाग, पटना को दिया है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहरा प्रखंड का प्रखंड मुख्यालय भवन एवं थाना भवन का निर्माण कजूर गांव में कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान

***389 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के समान रूप से ताल-मेल में सरकारी कार्य संपन्न होते आ रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभागाधीन सर्विस बॉय के पद पर पुराना सचिवालय भोजशाला, बिहार, सम्प्रति बिहार विधान परिषद् भोजशाला, पटना में कार्यरत विश्वनाथ मंडल ने दिसम्बर 2018 में शिवम ट्रस्ट हॉस्पीटल, न्यू अलकापुरी, दमरिया, पटना-2 में अपने हाइड्रोशील एवं हर्निया रोग का ऑपरेशन कराया था जिसपर चिकित्सा व्यय- 22,327 रुपये हुए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त श्री विश्वनाथ मंडल, सर्विस बॉय की दिनांक 10.12.2018 से 19.12.2018 तक चिकित्सा पर हुए व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि 19,327/- रुपये स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2319, दिनांक 31.05.2019 में उप शीर्ष-0001, विपत्र कोड संख्या-26-225100051910001 के स्थान पर उपशीर्ष-002, विपत्र कोड संख्या-2251000910002 अंकित किया गया है, जिससे श्री मंडल को चिकित्सा व्यय की राशि का भुगतान बाधित है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2319, दिनांक 31.05.2019 में आवश्यक सुधार करते हुए विश्वनाथ मंडल, सर्विस बॉय, सम्प्रति बिहर विधान परिषद् भोजशाला, पटना को चिकित्सा व्यय की राशि 19,327/- रुपये भुगतान तथा इसमें लापरवाह व्यक्तियों पर दण्डात्मक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नियमित नियुक्ति

***390 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शारदा भगत एवं अन्य बनाम बिहार सरकार की पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या सी.डब्लू.जे.सी. 9150/2019 में दिनांक 18.12.2019 को पटना उच्च न्यायालय ने याचिका निष्पादित करते हुए न्याय निर्णय दिया है कि 6 आवेदकों की चयन प्रक्रिया की कार्रवाई 6 महीने के अंदर संपन्न करते हुए तार्किक परिणति तक सरकार पहुंचे, यानी कि इन लोगों की नियुक्ति की जाए;

(ख) क्या यह सही है कि न्याय निर्णय के एक वर्ष से अतिरिक्त समय बीत जाने के बावजूद भी श्रम संसाधन विभाग ने समूह-डी के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया है, जिसके कारण बेरोजगार आवेदकगण परेशान हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में संबंधित लोगों की नियमित नियुक्ति सरकार कबतक करेगी, यदि नहीं तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई कबतक

***391 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि 51 अद्द नलकूपों को मेन्टेनेंस के तहत विभाग द्वारा राशि 20,05,000.00 द्वारा बक्सर जिला को उपलब्ध कराया गया;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग प्रमंडल, बक्सर द्वारा पंचायत को एक भी पैसा नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि 51 अद्द नलकूपों के मेन्टेनेंस के तहत मुख्यालय द्वारा मिली राशि 6 माह तक रखकर कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन, बक्सर के द्वारा मुख्यालय को पूरा पैसा वापस कर दिया गया, इसके कारण बक्सर जिला के 50 हजार हेक्टेयर किसानों की भूमि की सिंचाई नहीं हो पायी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले में दोषी कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जाम से मुक्ति कब-तक

***392 श्री रण विजय कुमार सिंह (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के जिला मुख्यालय आरा को छपरा(सारण) से जोड़ने हेतु वीर कुँवर सिंह सेतु का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वीर कुँवर सिंह सेतु पर यातायात के भारी दबाव के कारण दोनों छोर पर जाम की स्थिति प्रायः बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल पर सुचारु रूप से आवागमन हेतु जाम से मुक्ति दिलाना चाहती है ?

जे.पी. सम्मान पेंशन

***393 श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आपातकाल से पहले और आपातकाल में सियाराम यादव 21 माह तक मधुबनी, दरभंगा तथा डाल्टेनगंज कारा में मीसाबन्दी के रूप में रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में मीसाबन्दी एवं डी.आर.आर अंतर्गत छः माह से कम बन्दी को जे.पी. सम्मान पेंशन के तहत पाँच हजार तथा छः माह से अधिक अवधि में रहने वाले बन्दी को दस हजार रुपए जे.पी. सम्मान पेंशन दिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि सियाराम यादव को 21 माह तक मीसाबन्दी के रूप में रहने के उपरान्त जे.पी. सम्मान पेंशन के तहत इन्हें पाँच हजार रुपए की राशि दी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मीसाबन्दी के रूप में बन्दी सियाराम यादव को जे.पी. सम्मान पेंशन के तहत 10 हजार रुपए आवंटित करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

टेम्पू-बस का भाड़ा

***394 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

परिवहन :-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में बस-टेम्पू यात्री वाहन अपनी मनमानी से दोगुना भाड़ा वसूल कर रहे हैं एवं टेम्पू में तीन यात्री से अधिक और बसों में क्षमता से अधिक यात्री बैठाकर चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि टेम्पू के द्वारा कुर्जी से पटना जंक्शन 7 किलोमीटर का भाड़ा 20 रुपया, दीघा से सोनपुर रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर का भाड़ा 40 रुपया, सौनैली से पूर्णियां, खुशकी बाग 35 किलोमीटर का 90 रुपया, सोनैली से कटिहार 22 किलोमीटर का भाड़ा 60 रुपया, 10 किलोमीटर का भाड़ा 20 रुपया, 13 किलोमीटर का भाड़ा 30 रुपया, 1 से 35 किलोमीटर का भाड़ा 10 से 20 रुपया लिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि बस में सोनैली से पूर्णियां 40 किलोमीटर का भाड़ा 60 रुपया लिया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार टेम्पू-बस का भाड़ा जनहित में निर्धारित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उद्भेदन करने का विचार

*395 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्री मुकेश कुमार सिन्हा, ग्राम- हुजरा, थाना- गौरीचक, जिला- पटना की हत्या दिन-दहाड़े गौरीचक थाना से सटे दक्षिण (पटना-गया रोड पर) तीन बजे से चार बजे अपराह्न के बीच अज्ञात अपराधियों के द्वारा दिनांक 29.03.2019 को कर दी गई, जिसका थाना कांड संख्या- 156/2019, गौरीचक थाना में दर्ज है। घटना के लगभग 23 महीने बीत जाने के बाद भी उक्त कांड का उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है, यदि हां तो सरकार कबतक उक्त घटना (कांड) का उद्भेदन करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?